संलग्नक – 04

कार्यवाही विवरण

मेसर्स एस.डी.आर.एम. मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में **Greenfield project for proposed DRI based Steel Plant to Produce Sponge Iron - 231000 TPA (350 TPD × 2 Nos.), SAF 9 MVA × 3 Nos. to produce Ferro Alloy (SiMn- 51000 TPA and/or FeMn- 64000 TPA and/or Fesi - 28000 TPA and/or Pig Iron - 102000 TPA), Captive Power of 25 MW (16 MW through WHRB & 9 MW through AFBC) and Fly Ash Bricks - 37500 TPA,** के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स एस.डी.आर.एम. मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Greenfield project for proposed DRI based Steel Plant to Produce Sponge Iron - 231000 TPA (350 TPD × 2 Nos.), SAF 9 MVA × 3 Nos. to produce Ferro Alloy (SiMn- 51000 TPA and/or FeMn- 64000 TPA and/or Fesi - 28000 TPA and/or Pig Iron - 102000 TPA), Captive Power of 25 MW (16 MW through WHRB & 9 MW through AFBC) and Fly Ash Bricks - 37500 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द हिन्दू, नई दिल्ली में दिनांक 08/04/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 08/04/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 09/05/2025 को समय प्रातः 11.00 बजे, स्थान–कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर–1167/2,1167/3, 1167/11, 1167/8, 1167/10 एवं 1168/4 स्थित ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला – राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत–जोरातराई, तहसील व जिला – राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 06 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 09/05/2025 को प्रातः 11:25 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थान–कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर–1167/2, 1167/3, 1167/11, 1167/8, 1167/10 एवं 1168/4 स्थित ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जनार्दन ओझा, जनरल मैनेजर मेसर्स एसडीआरएम मेटालिक्स प्रा.लि., जोरातराई एवं डॉ0 प्रवीण कुमार साहू, एनाकोन लेबोरेटरीज, नागपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को परियोजना के संबंध में अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री देवेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–अंजोरा ढ़ाबा, जिला–दुर्ग।**
   - मैं उद्योग का समर्थन करता हूं। युवा साथियों तथा सभी को काम एवं रोजगार मिलना चाहिए।

2. **श्री शिवशंकर कश्यप, भिलाई, जिला–दुर्ग।**
   - उद्योग लगने से कोयला और आयरन का उपयोग होता है और यह छत्तीसगढ़ में है इसीलिये फैक्ट्री खुलना चाहिए।

3. **श्री नकुल कुमार साहू, ग्राम–टेमरी, जिला–राजनांदगांव।**
   - प्लांट खुलने से मैं सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि आसपास के सभी भाई लोगों को रोजगार मिले।

4. **श्री विजय सिंह क्षत्रिय, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**
   - प्लांट खुलने से मैं सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि आसपास के सभी भाई लोगों को रोजगार मिले।

5. **श्री हंसराम साहू, ग्राम–अंजोरा, जिला–दुर्ग।**
   - मैं बेरोजगार हूं। मुझे काम धंधा चाहिए।

6. **श्री राजेश प्रसाद कुशवाहा, भिलाई, जिला–दुर्ग।**
   - कंपनी का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों को काम मिले।

7. **श्री छोटेलाल यादव, भिलाई, जिला–दुर्ग।**

➢ प्लांट का सहयोग करता हूं। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

8. **श्री मोहनीश कुमार धनकर, जनपद सदस्य, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूं। क्योंकि कंपनी लगने से कंपनी वाले स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सूचना नहीं देते हैं। क्या बिना सूचना दिये जन सुनवाई कर सकते हैं। आज से एक दो साल पहले क्रस्ट कंपनी के द्वारा भी लोक सुनवाई की गई थी। क्या उस कंपनी के द्वारा किये गये वादे शुरू हुए हैं। क्या वादे पूरे किये गये। क्या आगे यह कंपनी अपने घोषणा को पूर्ण करने में सक्षम रहेगी। मैं इस कंपनी का घोर विरोध करता हूं। आशा रखता हूं कि आसपास के सभी जन प्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे। आसपास के ग्रामीण जब तक यहां उपस्थित न हो तब तक के लिये यह जन सुनवाई टाल दिया जाये। क्या यह कंपनी लगेगी तो गांव वालों को सुविधा देगी। क्या रोजगार देगी। यदि कंपनी विकास कार्य करेगी यदि लिखित में देगी तो हम इसका सहयोग करेंगे। अन्यथा इस कंपनी का घोर विरोध कर रहे हैं।

9. **श्री रमाकांत साहू , सरपंच, ग्राम पंचायत–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इस कंपनी से हमारे गांव वाले मांग कर रहे है यदि कंपनी हमारे अनुसार कार्य करेगी तो कंपनी का सहयोग रहेगा। यदि हमारी मांग अनुसार गांव के विकास में या स्थानीय बेरोजगारों के पक्ष में कोई अभिनव पहल करेगी तो हम समर्थन करेंगे। सड़क, पेयजल, स्कूली शिक्षा, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य वर्धन के लिये स्वास्थ्य शिविर, जिम की स्थापना, सामाजिक एवं जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधा में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष पहल करना, औद्योगिक स्थापना के लिये विशेष रोड स्थापना करना, स्वच्छ पेंयजल के लिये पानी टंकी उपलब्ध करवाना ये सभी कंपनी यदि मानती है तो हम कंपनी का समर्थन करते हैं। इसके पूर्व क्रस्ट कंपनी के द्वारा भी वादे किये गये थे लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया है। ये कंपनी वाले यहां प्रदूषण फैला रहे है और अपना स्वार्थ साध रहे हैं। हम कंपनी से वादा पत्र लेना चाहते हैं तभी हम कंपनी का समर्थन कर पायेंगे।

10. **श्री मागीलाल साहू, पंच एवं वन पर्यावरण सभापति, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं कंपनी लगने का विरोध करता हूं। यहां के प्रदूषण से हम लोग त्रस्त हैं। यदि यह कंपनी लगेगी तो और प्रदूषण होगा। हम लोग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्य से संतुष्ट नहीं है।

11. **श्री बैधनाथ सिन्हा, सरपंच ग्राम–मनगटा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। यहां पर कई कंपनी द्वारा वादे किये गये थे लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। यदि कंपनी द्वारा किसी प्रकार का वादा किया जाता है तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे।

12. **श्रीमती कौशिल्या धनकर, पंच, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे गांव के सरपंच से मैं सहमत हूं। सड़क मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा यदि ये काम नहीं होते हैं तो कंपनी बन्द किया जाये।

13. **श्री गांधी साहू, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ कंपनी लगने का मैं समर्थन करता हूं ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिलता रहे।

14. **श्री रामसिंग साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कुछ दिन पहले यहां कल्याणी इस्पात खुला है। यही प्रशासन के लोग यहां लोक सुनवाई कराये थे। जैसे मैं शुरू से यहां पर देख रहा हूं कि कंपनी स्थानीय संसाधन का उपयोग नही करता है। यहां कंपनी में बाहरी लोग काम कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण स्थानीय लोग नही कर सकते हैं उसमें बाहरी लोगों को लगाना चाहिए। लेकिन यदि संभव तो स्थानीय लोगों से काम लेना चाहिए। यदि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलेगा तो इस कंपनी का विरोध करते हैं। यहां प्रशासन लिखित में देगा तो कंपनी को समर्थन मिलेगा। यहां बाहरी लोगों से काम करवाया जा रहा है इसीलिये मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

15. **श्रीमती मेघा, पंच, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं जनपद भैया और सरपंच भैया के बातों से सहमत हूं।

16. **श्रीमती कुमारी बाई बघेल, पंच, ग्राम पंचायत–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जनसुनवाई में मेरे पूर्व वक्ता हमारे सरपंच एवं जनपद सदस्य के बातों का मैं समर्थन करती हूं।

17. **श्री ईश्वर देशमुख, जिला पंचायत निर्वाचित सदस्य, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का जन सुनवाई है तो स्थानीय प्रतिनिधियों को सूचना मिलनी चाहिए। मुझे स्थानीय सरपंच से इसके बारे में जानकारी मिली। मेरा निवेदन है कि जन प्रतिनिधियों को एक सूचना मिलनी चाहिए। इसके पूर्व सरपंच, पंच एवं अन्य लोगों ने विरोध किया है जन सुनवाई में बड़ी बड़ी बाते की जाती है लेकिन कोई भी कार्य नही किया जाता है। कस्ट कंपनी के द्वारा यहां पर प्रदूषण फैलाया जाता है। कंपनी के ठोस अपशिष्ट का अपवहन की व्यवस्था नही होता है। जिसके कारण बहुत सारे नुकसान होता है। जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। पर्यावरण के सभी नियमों का पालन हो। तभी यह उद्योग लगाया जाये अन्यथा हम सभी को आपत्ति है।

18. **श्री चुनेश्वर साहू, सरपंच ग्राम पंचायत–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कल्याणी इस्पात कोपेडीह में लगा है। उससे आसपास की जमीन बंजर हो गई है। आसपास एक डेम है वहां के नाली को पंचायत की सूचना के बिना साफ किया गया। स्थानीय लोगों को पूछे बिना वह कार्य कर रहा है। ऐसे कंपनी एवं मालिक का मैं पूरी तरह से विरोध करूंगा। वहां बहुत सारे लोग काम करने वाले लेकिन सब छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। ऐसे कंपनी का मैं विरोध करता हूं। यदि उद्योग लग रहा है तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तथा पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये, तभी मैं कंपनी का समर्थन करूंगा अन्यथा जोरातराई के सरपंच के साथ हूं।

19. **श्री मनोज निर्मलकर, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लांट के लिये एनओसी दिया गया है। प्लांट के आसपास प्लांट तो नही होना चाहिए लेकिन दे दिया गया है। यदि कंपनी में कोई काम कर रहा है तो अच्छी बात है। क्रस्ट कंपनी में तारण दास मानिकपुरी को ऐसा काम मिला जो उसकी योग्यता से कम था। मैं इस कंपनी के मैनेजमेन्ट को कहना चाहूंगा कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आता है तो उसकी योग्यता अनुसार उसे काम दिया जाये। क्षेत्र में छोटी बड़ी हादसा होते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि कंपनी के द्वारा एक एम्बूलेन्स की व्यवस्था की जाये। कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के नियम का पालन किया जाये। सभी स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आसपास के पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के बदले वहां के मजदूर भाईयों के हित में कार्य करें।

20. **श्री भोजराम साहू, वार्ड पंच, ग्राम–मनगटा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी को एनओसी तो मिलता है। मेरे बोलने से नहीं रूकेगा। जन सुनवाई इसलिये रखा जाता है कि ताकि आम जनता को पता चले। यदि नया प्लांट लगा रहे तो कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा निवेदन है कि कंपनी ठेकेदारी बोलकर स्थानीय लोगों का शोषण न करें। कंपनी वाले स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं। कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार में नही रखता है वे छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों को काम में रखते हैं। कंपनी प्राफिट के नाम पर हमको बोनस नही देता है।

21. **श्री सुरेश यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इस क्षेत्र में कंपनी से निकलने वाले धूल, डस्ट एवं कचरा से लोग परेशान हैं। यदि इस तरह की कंपनी को सहमति दी जाती है तो वन, पर्यावरण एव जीव जन्तुओं को गंभीर दुष्परिणाम होगा। यहां पर्यावरण प्रदूषण विभाग का कार्य संतोषजनक नहीं है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट विकास ठाकुर, एनाकोन लेबोरेटरीज, नागपुर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ कंपनी हमेशा गांव वालों के साथ मिलकर चलेगी, इसके लिये हमने तीन करोड रूपये लिखित में प्रावधानित किया है। इसमें सड़क सुरक्षा, पेयजल, एम्बुलेन्स आदि सुविधाये हैं। कंपनी लगने पर हम लोग ये सभी कार्य करेंगे।

- हम एक समिति बनायेंगे जिसमें कंपनी के लोग एवं स्थानीय लोग रहेंगे और मिलकर कार्य करेंगे।
- कंपनी में नई टैक्नोलॉजी लगेगी जिससे धुएं का स्तर पर नियंत्रण रखा जायेगा। उत्सर्जन का आनलाईन मानिटंरिंग भी किया जायेगा।
- हमारा उद्योग पानी को दूषित करने वाला नही है हमारे द्वारा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- हम शत–प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार में रखेंगे तभी सब्सिडी मिलेगी इसलिये हम स्थानीय लोगों को रोजगार में रखेंगे।
- हमारे द्वारा जन सुनवाई के लिये नियमानुसार सूचना दिया है।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 03 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 21 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 44 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01.20 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई	9/5/25 अतिरिक्त कलेक्टर जिला–राजनांदगांव